संख्या-72/2022/1402/छप्पन-2022-56-1009(003)/1/2022

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक : 20 सितम्बर, 2022

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 23 अक्टूबर, 2022 से 02 नवम्बर, 2022 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 दिनों (01 दिन प्रलेखन) को सम्मिलित करते हुए) तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-144/ना0उ0नि0/आप्स-ए0के0/2021, दिनांक 30 अगस्त, 2022 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2022 से 02 नवम्बर, 2022 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 दिनों (01 दिन प्रलेखन) को सम्मिलित करते हुए) तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 17823.75 यू0एस0 डॉलर रू0 82/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 14,61,548/- (रूपए चौदह लाख इकसठ हजार पांच सौ अड़तालिस मात्र) एवं विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,75,840/- (रूपए तीन लाख पचहत्तर हजार आठ सौ चालीस मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 18,37,388/- (रूपए अट्ठारह लाख सैंतीस हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है।

अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2022-23 में कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 23 अक्टूबर, 2022 से 02 नवम्बर, 2022 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 दिनों (01 दिन प्रलेखन) को सम्मिलित करते हुए) तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 17823.75 यू0एस0 डॉलर रू0 82/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 14,61,548/- (रूपए चौदह लाख इकसठ हजार पांच सौ अड़तालिस मात्र), विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,75,840/- (रूपए तीन लाख पचहत्तर हजार आठ सौ चालीस मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 18,37,388/- (रूपए अट्ठारह लाख सैंतीस हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी सी0ए0ई0, दुबई को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

8- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

9- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

10- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

11- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

13- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

14- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व-लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिए गए प्राधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या-72/2022/1402(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।